

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(Sec Rule 64)

(For use in general election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 151-Kherwara Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Dr. Dayaram Parmar

Kanbai Chak No.1 Teh-Nayagaon Dist-Udaipur

Sponsored By **Indian National Congress** (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : UDAIPUR
Date : 3-Dec-2023


Signature
(राकेश कुमार शर्मा)
रिटर्निंग अधिकारी
(एस.डी.एम.) 151-खेरवाड़ा
जिला-उदयपुर (राज.)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मे उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

151- खेरवाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य)
की विधान सभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम] 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम]
1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में] मैं घोषणा करता हूं कि-

डॉ. दयाराम परमार

पता कनबई चक नं.1. तहसील नयागांव जिला उदयपुर (राज.)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं:

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : खेरवाडा

दिनांक 03-12-2023

(राकेश कुमार न्योल)

(राकेश कुमार न्योल)

151- खेरवाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड) माजिस्ट्रेट नाथद्वारा
(समूची गा.) 151- खेरवाडा
जिला-उदयपुर (राज.)